

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Dr. Faiyaz Ahmad (Bihar), Dr. Sangeeta Balwant (Uttar Pradesh), Shri Rwngrwa Narzary (Assam), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), and Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjay Seth. Not present. Shri Pramod Tiwari.

Need to address the problem of substandard medicines in the country

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, बाजार में बढ़ती हुई घटिया दवाओं के संदर्भ में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने जांच में पाया कि देश में बिक रही 50 दवाइयों के नाम दिए हैं। ये दवाइयाँ घटिया स्तर की बन रही हैं। इसमें पैरासिटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर, खांसी, मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम की दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं।

महोदय, देश में घटिया और नकली दवाओं का जाल फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घटिया दवाओं की अधिक चुनौतियाँ हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे दवा निर्माताओं द्वारा निर्मित 15 प्रतिशत से अधिक दवाइयाँ गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। छोटे दवा निर्माता ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करते हैं। महोदय, घटिया दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। घटिया दवाओं के सेवन से मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार उत्पादित की जा रही दवाओं में 12-25 प्रतिशत तक मिलावटी, घटिया या नकली दवाएं हो सकती हैं। 2023 में 'जन विश्वास विधेयक' में किए गए संशोधन के नियम 27 (डी) के तहत मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) के तहत न होने वाली दवाओं की सजा को कंपाउंडिंग अपराधों में कंवर्ट करने की अनुमति दी गई है। सर, वे लोग सजा को कंपाउंडिंग अपराध में परिवर्तित करा देते हैं, इसलिए यह इतना बढ़ रहा

है। निर्माता अब अपराध के बदले जुर्माना भर सकते हैं, लेकिन अगर सजा हो, तो शायद लोग बच जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के अनुसार इससे निर्माताओं का उत्पीड़न कम होगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे घटिया दवाइयाँ मुद्दाविहीन बन रही हैं। वे करोड़ों लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि पैसे वाले लोग, जो इन्हें बना रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं यह आपके लिए कह रहा हूँ कि रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा, लगभग 38 परसेंट घटिया दवाएं प्रेस्क्राइब की जा रही हैं, मिल रही हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि घटिया दवाइयों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ दवाओं की निर्माण स्तर पर भी पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। अगर मैं यह कहूँ कि यह 2015 से बढ़ा है, तो वह बात भी आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। महोदय, मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह एक ऐसा सवाल है, जो 140 करोड़ लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और जो कंपाउंडिंग की गई है, उसके बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ा है। क्योंकि माननीय नेता सदन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, यही आग्रह है कि है कि इस विषय पर सिर्फ जवाब न दें, करोड़ों लोगों की जान से न खेलें, अपितु उचित प्रबंध करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Pramod Tiwari: Shri Haris Beeran (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Shri Saket Gokhale (West Bengal).

Demand to expedite railway projects under Ambala Railway Division

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the House to crucial infrastructure projects under Ambala Railway Division. On February 26, 2024, hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, virtually laid the foundation-stone for seven Rail Over Bridge and Rail Under Bridge projects with a total investment of Rs.150.48 crore. These projects are aimed to eliminate manned level crossings, enhancing railway safety and improving operational efficiency. One of the key projects is in Yamuna Nagar and many regions are eagerly waiting for the timely completion of the crucial infrastructure development.

Sir, through you, I wish to ask the hon. Minister of Railways: What is the current status of these projects? Are they progressing as per planned timeline? What